फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत ——— उपखण्ड अधिकारी ——— मुकाम ——— चिड़ावा ———

——— तैयब ——— बनाम ——— अकबर वगै0 ———

किस्म मुकदमात ——— दावा ——— नं. ——— 58 ——— सन् ——— 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
13.07.20	आज यह दावा बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावें। तलबी प्रतिवादीगण प्रस्तुत तलवाने पर जरिये नोटिस नकल दावा भेजकर की जावे। मिसल वास्ते तलबी हेतु 11.08.2020 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)	
11/8/20	पत्रावली पेश हुई। बकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 13-10-20 को पेश हो।	
13/10/20	पत्रावली पेश हुई। बकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 21-12-20 को पेश हो।	
21/12/20	पत्रावली पेश हुई। बकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 1-3-21 को पेश हो।	
1-3-21	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण सं0 15, 17 से 24 की ओर से विजय डागला एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। शामिल मिसल रहे। प्रतिवादीगण सं0 26, 28, 29, 30 की ओर से राकेश आर्य एडवोकेट ने शिकायत पैरवी की आयकर वकालतनामा पेश करेंगे। शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सादा तलवाना पेश करें। मिसल वास्ते पेश करने गवाह रावा, वकालतनामा व रजिस्टर्ड तलबी हेतु दिनांक 16-3-21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा	
16/3/21	पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज लगवाई गई। वादी व वकील वादी हाजिर नहीं आये। अतः उनकी वाद पत्र अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील पक्षकार सरकील दफ्तर हो।	

प्रति 28, 29, 30 प्रति 26

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary

Date: 2021.08.03 12:58:28 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner